



सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर नई दिल्ली-110023
Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



दिनांक: 19.06.2025

संख्या. मा.सं.प्र.-I/पी-141(17)2025/स.भ.नि.आ./ई-947653/665

कार्यालय आदेश

विषय: पैनल वर्ष 2025 के लिए वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में नियमित आधार पर सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

14.05.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की संस्तुतियों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पैनल वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित नियमित ईओ/एओ/एसओ को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में नियमित आधार पर सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी जाती है:-

क्र.संख्या	दिनांक 30-08-2023 की वरिष्ठता सूची के अनुसार	नाम- श्री/श्रीमती/कु.	ई-आईडी
1.	310	शशि शेखर	एसबी170868121260292
2.	SO-1	उमाकांत	यूआर050170124141194
3.	313	सुखदेव सिंह सैनी	एसजे130770016211094
4.	316	इराम आसिफहुसैन शेख	आईए231078046120698
5.	322	अभिलाष नायर	एपी090178102100698
6.	325	नीतू गुप्ता	एनवी290777016040698
7.	328	कान्हू च साहू	केबी230569123051193
8.	334	संध्या शर्मा	एसएस15047704824068
9.	337	एम.एम.थॉमस	टीएम010668025221196
10.	340	संजय कुमार	एसआर07107501629069
11.	346	ए विजयलक्ष्मी	एए150467107080894
12.	352	एम. अहमद साहिब	एपी050667047310795
13.	355	मितेश जैन	एमयू241176050040598
14.	358	दीपा नरुला	डीएस160270089270292
15.	SO-2	मनमोहन लाल	एमजी171167124050991
16.	364	सुमा उन्निकृष्णन	एसपी050973065040195
17.	367	सुनीता मधुसूदन	एसके280576098020798
18.	370	अनिल कुमार के	केएम200471059090895

19.	373	सीमा	एससी190576089181099
20.	379	पी.आर. वीणा राजन	पीपी051073035110698
21.	382	विमल एम ठक्कर	टीएम100179046090698
22.	385	बिगी वर्गीज़	बीके010573120301198
23.	388	अरुण कुमार गौड़	एके260571105050594
24.	390	सुभाष चन्द्र दास आर	एसकेSK1605680263105
25.	391	गोपाकुमार एम	एमएम11047302630080
26.	392	जी.सुब्रमनियन	एसएस180366085140891

2. अगले आदेश तक अधिकारी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत बने रहेंगे। नियमित पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. अधिकारी स.भ.नि.आयुक्त के रूप में नियमित नियुक्ति पर, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकते हैं।

4. अधिकारियों की वरिष्ठता क.भ.नि. स्टाफ (वरिष्ठता निर्धारण) विनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार सहायक भविष्य निधि आयुक्त के संवर्ग में विनियमित की जाएगी।

5. स.भ.नि. आयुक्त के रूप में अधिकारियों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट संबंधित नियंत्रण कार्यालय द्वारा rc1.hrm@epfindia.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से मा.सं.प्र.-1, मुख्यालय को भेजी जाएगी। तदनुसार, इसे एचआर सॉफ्ट पोर्टल पर भी अपडेट किया जाएगा।

6. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या 36012/16/2019- स्थापना (आरक्षण) दिनांक 12.04.2022 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण लागू किया गया है, लेकिन पदोन्नति आदेश जरनैल सिंह बैच के मामलों के परिणाम के अधीन है, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और जारी किया गया कोई भी पदोन्नति आदेश उक्त मामलों के बैच में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह पारित किए जा सकने वाले आगे के आदेशों के अधीन होगा।



(मोहम्मद शारिक)

क्षे.भ.नि.आयुक्त-1 (मा.सं.प्र.-1)

सेवा में

संबंधित अधिकारी

(संबंधित प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि: (क.भ.नि.सं. वेबसाइट के माध्यम से)

1. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव
2. वि.सला.एवं मु.ले.अधि./मु.सत.अधि./ सभी अ.कें.आ.(मुख्य.)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
3. सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त
4. क्षे.भ.नि.आयुक्त (प्रशासन) सहित सभी क्षे.भ.नि.आयुक्त-1, मुख्यालय और क्षे.भ.नि.आयुक्त (एनडीसी)

5. मुख्यालय के सभी अधिकारी
6. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखा परीक्षा दल
7. संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत फाइलें।
8. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय/गार्ड फाइल।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षे.भ.नि.आयुक्त-। (मा.सं.प्र.-।